नगरपालिका आम/उप निर्वाचन–2025

अत्यावश्यक

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
State Election Commission, Bihar

सं0सं0–न0नि0–50–01/2025/715

प्रेषकः–

मुकेश कुमार सिन्हा (भा0प्र0से0)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवामें,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–
सह–जिला पदाधिकारी, बिहार।

दिनांक 13.3.25

विषयः–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को मतदाता सूची के निमार्ण के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में सहायता हेतु जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी(मतदाता सूची) नामित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशाानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि 06 नगरपालिका (नगर पंचायत–कोचस, नगर पंचायत–मेहषी, नगर पंचायत–पकड़ीदयाल, नगर पंचायत–खुसरूपुर, नगर पंचायत–नौबतपुर एवं नगर पंचायत–बिक्रम) के आम निर्वाचन तथा कतिपय कारणों से रिक्त हुए पदों के उप निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराया जाना है।

पिछले चुनाव में यह पाया गया कि कतिपय नगरपालिका में मतदाता सूची का निर्माण के क्रम में विखण्डीकरण एवं दावा–आपत्ति के निष्पादन में पर्याप्त अनुश्रवण नहीं होने के कारण कुछ त्रुटियाँ परिलक्षित हुई, जैसेः–

- मतदाता विखण्डीकरण के क्रम में प्रारंभिक मतदाता सूची बनाते समय संबंधित पार्ट के विखण्डीकरण का डाटा फाईनालाईज नहीं किया गया, जिसके कारण संबंधित मतदाता मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं हो सके।
- एक ही परिवार/एक ही गृह संख्या में रह रहे लागों का नाम अलग–अलग वार्ड में पाया गया।
- बहुत बड़ी संख्या में मतदाताओं का नाम उनके निवास वाले वार्ड से हटाकर अन्यत्र वार्ड में रखा गया।

- कुछ नगर निकायों में महत्वपूर्ण व्यक्तियों यथा–वर्तमान एवं भूतपूर्व सांसद, विधायक एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया।
- प्राप्त हुए दावा आपत्ति/परिवाद के निष्पादन में परिवादी को नोटिस नहीं दिया गया एवं उनके अनुपस्थिति में ही सुनवाई की गई, आदि।
- नगरपालिका क्षेत्र में 180 दिनों से कम अवधि तक निवास करने वाले व्यक्ति का नाम संबंधित वार्ड के मतदाता सूची में शामिल हो गया।

इस प्रकार की गलती के चलते बहुत से मामले माननीय न्यायालय के समक्ष वाद के रूप में प्रस्तुत किए गए, जिससे आयोग को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था।

ज्ञातव्य हो कि आयोग के पत्रांक–714 दिनांक–13.03.2025 द्वारा भारत का संविधान के अनुच्छेद 243ZA बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 (यथासंशोधित) की धारा–14 तथा बिहार निर्वाचन नियमावाली–2007 के नियम–92 में निहित शक्तियों के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका) की सहायता के लिये एक या एक से अधिक जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका), जो उप समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी से अन्यून हो, को नियुक्त करने हेतु आपको प्राधिकृत किया गया है।

अतएव मतदाता सूची एवं मतदान केन्द्र की स्थापना के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में सहायता हेतु जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी(मतदाता सूची) नामित करने का निदेश दिया जाता है।

जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी(मतदाता सूची) के कार्य निम्नवत् होगें:–

1. मतदाता सूची के विखंडन का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण
2. प्राप्त दावा/आपति एवं जनशिकायत आवेदनों का समयवद्व निष्पादन का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण । इस हेतु नाम जोडे जाने, विलोपित किये जाने तथा स्थानांतरित किये जाने के संदर्भ में निबंधन पदाधिकारी के कार्यों का प्रत्येक 03 दिनों पर अनुश्रवण करेगें।
3. नगरपालिका क्षेत्र अन्तर्गत महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया है, का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण।
4. **दावा/आपति हेतु निर्धारित अवधि के अंतिम तिथि को नगरपालिका/अनुमंडल स्तर पर प्राप्त आवेदनों का निश्चित रूप से पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेगें तथा समयवद्व निष्पादन सुनिश्चित करायेगें।**

5. किसी व्यक्ति/आवेदक का नाम संबंधित वार्ड के मतदाता सूची में तभी जोड़ा जा सकेगा, यदि दावाकर्त्ता/आवेदनकर्त्ता आवेदन की तिथि से कम–से–कम 180 दिन पूर्व से उस वार्ड में निवास करता हो, इसका पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेगें।
6. पूर्व निर्वाचन एवं वर्त्तमान निर्वाचन में संबंधित वार्ड अन्तर्गत मतदाताओं की संख्या का तुलनात्मक स्थिति का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण। किसी मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या में अचानक वृद्धि/ह्रास होने की स्थिति में विशेष ध्यान दिया जाए।

आयोग का यह प्रयास है कि ऐसी अशुद्धियाँ दुहराई न जाए। त्रुटि प्रकाश में आने पर इसे मानवीय भूल के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अनुरोध है कि उक्त कार्य हेतु जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी(मतदाता सूची) नामित करने की कृपा की जाय तथा उनके नाम, पदनाम एवं कार्यालय पता मोबाईल नंबर सहित आयोग के वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

विश्वासभाजन

13/9/15

सचिव